

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

ई-मेल:-ccf.fca.rajasthan@gmail.com Tel. No. 0141-2713949

क्रमांक: एफ. 14(ROAD)2019/एफसीए/प्रमुखसं./ 2930

दिनांक 21.11.25

विशिष्ट शासन सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषय:-Diversion of 4.896 ha. For Construction of road under
PMGSY Salawadkhurd to barodiya antari.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/41556/2019)

संदर्भ:-भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय
कार्यालय, गांधीनगर के पत्र क्रमांक 8बी/राज001/2025-JPR
दिनांक 17.09.2025 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980
के तहत उल्लंघन किया गया है। भारत सरकार के संदर्भित पत्र (प्रति संलग्न) द्वारा प्रकरण
को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली में भिजवाने हेतु लिखा गया
है।

अतः निवेदन है कि प्रकरण को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय, नई दिल्ली में भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीय,



(के.सी.ए. अरुण प्रसाद)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर/ Regional Office, Gandhinagar



B-215 & बी-216 "अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर/302004-B-215& B-216, "ARANYA BHAWAN", Jhalana Institutional Area, Jaipur-302004 दूरभाष 0141-2713858, Email: iro.jaipur-mefcc@gov.in

दिनांक: 17th सितम्बर, 2025

सेवा में,
शासन सचिव (वन)
सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन
जयपुर, राजस्थान।

(ऑनलाईन क्रमांक **FP/RJ/ROAD/41556/2019**)

विषय: राजस्थान के कोटा जिले में सलावदखुर्द से बड़ोदिया अंतारी तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण के लिए 4.896 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, कोटा, राजस्थान के पक्ष में डायवर्जन - के संबंध में। (Diversion of 4.896 ha of Protected Forest Land for construction of road from Salawadkhurd to Barodiya Antari under PMGSY in Kota District of Rajasthan in favour of Public Works Department, Kota, Rajasthan- regarding).

संदर्भ: राज्य शासन, राजस्थान सरकार का पत्र क्रमांक प.1(138)वन/2025 दिनांक 05.08.2025.
महोदय,

I am directed to refer to the above cited proposal submitted by the State Government and inform that the proposal has been scrutinized and noticed in the Site Inspection Report of the DCF that the violation has been done by the User Agency in the year 2007 in an extent of 2.4 ha. As per the Rule 10(2)(v) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, proposals involving violation or requiring post-facto approval are to be submitted directly to the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, New Delhi, for consideration and approval at the appropriate level.

In view of the above, It is requested to submit the proposal directly to the Ministry in accordance with the applicable rules.

This issues with the approval of the Competent Authority.

भवदीय/Sincerely,

Digitally signed by

Balaji Kari

Date: 17-09-2025

(बालाजी करी/Balaji Kari)

सहायक वनमहानिरीक्षक/Assistant Inspector General of Forests
क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर/Regional Office, Gandhinagar

प्रतिलिपि: (ई-मेल द्वारा)

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इंस्टिट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान।
2. उप वन संरक्षक, कोटा वनमण्डल, कोटा, राजस्थान।